Rule 44 : Manner of reversal of credit under special circumstances

(1) The amount of input tax credit relating to inputs held in stock, inputs contained in semi-finished and finished goods held in stock, and capital goods held in stock shall, for the purposes of sub-section (4) of section 18 or sub-section (5) of section 29, be determined in the following manner, namely,-

(a) for inputs held in stock and inputs contained in semi-finished and finished goods held in stock, the input tax credit shall be calculated proportionately on the basis of the corresponding invoices on which credit had been availed by the registered taxable person on such inputs;

(b) for capital goods held in stock, the input tax credit involved in the remaining useful life in months shall be computed on pro-rata basis, taking the useful life as five years.

Illustration :

Capital goods have been in use for 4 years, 6 month and 15 days.

The useful remaining life in months= 5 months ignoring a part of the month

Input tax credit taken on such capital goods= C

Input tax credit attributable to remaining useful life= C multiplied by 5/60

[1]**[(2)** The amount, as specified in sub-rule (1) shall be determined separately for input tax credit of central tax, State tax, Union territory tax and integrated tax.

(3) Where the tax invoices related to the inputs held in stock are not available, the registered person shall estimate the amount under sub-rule (1) based on the prevailing market price of goods on the effective date of the occurrence of any of the events specified in sub-section (4) of section 18 or, as the case may be,

---

1 Sub-rule (2) and (3) substituted by Noti. No. 17/2017-Central Tax, dt. 27-07-2017 w.e.f. 01-07-2017. Earlier to substitution it read as under:

"**(2)** The amount, as specified in sub-rule (1) shall be determined separately for input tax credit of [A]**[**central tax, State tax, Union territory tax and integrated tax**]**.

[B]**[(3)]** Where the tax invoices related to the inputs held in stock are not available, the registered person shall estimate the amount under sub-rule (1) based on the prevailing market price of the goods on the effective date of the occurrence of any of the events specified in sub-section (4) of section 18 or, as the case may be, subsection (5) of section 29."

A Earlier substituted for "integrated tax and central tax" by Noti. No. 15/2017-Central Tax, dt. 01-07-2017 w.e.f. 01-07-2017.

B Earlier Sub-rule (2) re-numbered as sub-rule (3) by Noti. No. 15/2017–Central Tax, dt. 01-07-2017 w.e.f. 01-07-2017.

sub-section (5) of section 29.**]**

(4) The amount determined under sub-rule (1) shall form part of the output tax liability of the registered person and the details of the amount shall be furnished in **FORM GST ITC-03**, where such amount relates to any event specified in sub-section (4) of section 18 and in **FORM GSTR-10**, where such amount relates to cancellation of registration.

(5) The details furnished in accordance with sub-rule (3) shall be duly certified by a practicing chartered accountant or cost accountant.

(6) The amount of input tax credit for the purposes of sub-section (6) of section 18 relating to capital goods shall be determined in the same manner as specified in clause (b) of sub-rule (1) and the amount shall be determined separately for input tax credit of [2]**[**central tax, State tax, Union territory tax and integrated tax**]**:

Provided that where the amount so determined is more than the tax determined on the transaction value of the capital goods, the amount determined shall form part of the output tax liability and the same shall be furnished in **FORM GSTR-1**.

---

2 Substituted for "IGST and CGST" by Noti. No. 15/2017–Central Tax, dt. 01-07-2017 w.e.f. 01-07-2017.

नियम 44: विशेष परिस्थितियों में प्रत्यय के विपर्यन की रीति

(1) धारा 8 की उपधारा (4) और धारा 29 की उपधारा (5) के प्रयोजनों के लिए, स्टाक में धारित अर्ध परिरूपित और परिरूपित माल में अंतर्विष्ट इनपुटों और स्टाक में धारित पूंजी माल से संबंधित इनपुट कर प्रत्यय की रकम का अवधारण निम्नलिखित रीति से किया जाएगा, अर्थात् :

(क) स्टाक में धारित इनपुटों और स्टाक में धारित अर्ध परिरूपित और परिरूपित माल में अंतर्विष्ट इनपुटों के लिए इनपुट कर प्रत्यय की संगणना अनुपात्तः ऐसे तरस्थानी बीजकों के आधार पर की जाएगी, जिन पर रजिस्ट्रीकृत कराधेय व्यक्ति द्वारा, ऐसे इनपुटों पर प्रत्यय का उपयोग किया गया है;

(ख) स्टाक में धारित पूंजी माल के लिए, किसी मास में शेष उपयोगी जीवन में अंतर्वलित इनपुट कर प्रत्यय की संगणना उपयोगी जीवन के पांच वर्ष के रूप में ग्रहण करते हुए आनुपातिक आधार पर की जाएगी।

दृष्टांत :

पूंजी माल चार वर्ष, छह मास और पन्द्रह दिन के लिए उपयोग में रहा है।

शेष उपयोगी जीवन, महीनों में = पांच मास, उस मास के शेष भाग पर ध्यान न देते हुए ऐसे पूंजी माल पर लिया गया इनपुट कर प्रत्यय = सी,

शेष उपयोगी जीवन के लिए निर्धारणीय इनपुट कर प्रत्यय = 5/60 द्वारा गुणज सी

[1][**(2)** उपनियम (1) में यथानिर्दिष्ट रकम का केन्द्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्यक्षेत्र कर और एकीकृत कर के इनपुट कर प्रत्यय के लिए अवधारण पृथकतः किया जाएगा।

(3) जहां स्टाक में धारित इनपुटों से संबंधित कर बीजक उपलब्ध नहीं है, वहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उपनियम (1) के अधीन रकम का प्राक्कलन, यथास्थिति, धारा 18 की उपधारा (4) या धारा 29 की उपधारा (5) में विनिर्दिष्ट किसी घटना के घटित होने की प्रभावी तारीख को माल की विद्यमान बाजार कीमत के आधार पर करेगा।

---

1 अधिसूचना क्रमांक 17/2017–केन्द्रीय कर, दिनांक 27.07.2017 द्वारा उप–नियम (2) और (3) प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.07.2017)। प्रतिस्थापन के पूर्व यह इस प्रकार था :

"(2) [A][केन्द्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्यक्षेत्र कर और एकीकृत कर] के इनपुट कर प्रत्यय के लिए उपनियम (1) में यथाविनिर्दिष्ट रकम का अवधारण पृथक् रूप से किया जाएगा।

[B][(3)] जहां स्टाक में धारित इनपुटों से संबंधित कर बीजक उपलब्ध नहीं है, वहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उपनियम (1) के अधीन रकम का प्राक्कलन, यथास्थिति, धारा 18 की उपधारा (4) या धारा 29 की उपधारा (5) में विनिर्दिष्ट किसी घटना के घटित होने की प्रभावी तारीख को माल की विद्यमान बाजार कीमत के आधार पर करेगा।

A अधिसूचना क्रमांक 15/2017–केन्द्रीय कर, दिनांक 01.07.2017 द्वारा ''एकीकृत कर और केन्द्रीय कर'' के स्थान पर प्रतिस्थापित।

B अधिसूचना क्रमांक 15/2017–केन्द्रीय कर, दिनांक 01.07.2017 द्वारा उप–नियम (2) पुनःक्रमांकित उप–नियम (3) हुआ था (प्रभावशील दिनांक 01.07.2017)।

(4) उपनियम (1) के अधीन अवधारित रकम रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के आउटपुट कर दायित्व का भागरूप होगी और ऐसी रकम के ब्यौरे, जहां ऐसी रकम धारा 18 की उपधारा (4) में विनिर्दिष्ट किसी घटना के संबंध में है, वहां **प्ररूप जीएसटी आईटीसी–03** में और जहां ऐसी रकम रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के संबंध में है, वहां **प्ररूप जीएसटीआर–10** में दिए जाएंगे।

(5) उपनियम (3) के अनुसार दिए गए ब्यौरे किसी व्यवसायरत चार्टर अकाउंटेंट या लागत लेखापाल द्वारा सम्यक् रूप से प्रमाणित होंगे।

(6) पूंजी माल के संबंध में धारा 18 की उपधारा (6) के प्रयोजनों के लिए इनपुट कर प्रत्यय की रकम का अवधारण उसी रीति में किया जाएगा, जो उपनियम (1) के खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट है और [2]**[**केन्द्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्यक्षेत्र कर और एकीकृत कर**]** के इनपुट कर प्रत्यय के लिए पृथक् रूप से रकम का अवधारण किया जाएगा।

परन्तुक जहां इस प्रकार अवधारित रकम, पूंजी माल के संव्यवहार मूल्य पर अवधारित कर से अधिक है, वहां अवधारित रकम आऊटपुट कर दायित्व का भागरूप होगी और उसे **प्ररूप जीएसटीआर–01** में दिया जाएगा।

---

2 अधिसूचना क्रमांक 15/2017–केन्द्रीय कर, दिनांक 01.07.2017 द्वारा ''आईजीएसटी और सीजीएसटी'' के स्थान पर प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.07.2017)।